तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
5/1/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। विपक्षीगण का जवाब प्राप्त। जवाब का अवलोकन किया जाकर व पत्रावली पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर जारकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार गुढ़ामालानी को प्रेषित हो। पालना प्राप्त होने पर आखिर पत्रावली की जांच पत्रावली निर्णीत करार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 124 / 2023

प्रार्थीगण :—

1. सांवलाराम पटेल वल्द रूघाराम पटेल
   जाति कलबी निवासी सिन्धासवाहरनियान हाल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. शंकरलाल वल्द धूंकाराम
2. किसनाराम वल्द धूंकाराम
3. बाबूलाल वल्द धूंकाराम
4. भेराराम वल्द धूंकाराम
5. भीमाराम वल्द धूंकाराम
6. बगताराम वल्द धूंकाराम
7. शंकरलाल वल्द धूंकाराम
   कौम माली निवासी राठौडों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
8. जेठाराम वल्द बीजाराम कौम माली साकिन चिडीयारा तहसील पचपदरा हाल निवासी राठौडों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. हरिकिशन वल्द रामूराम कौम विश्नोई साकिन नगर हाल निवासी राठौडों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता वादी**
2. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्राथी गण**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 04.09.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं करने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई तहसील गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम राठौडों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1814 / 1684 रकबा 0.0555 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम राठौडों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1814/1684 रकबा 0.0555 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी** को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5/9/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद / 2023 / 1084

दिनांक : 5/9/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

सांवलाराम शंकरलाल वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......124 / 2023..

निर्णय दिनांक :– 04.09.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **राठौडों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी** के खेत खसरा नम्बर 1814 / 1684 रकबा 0.0555 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक गुड़ामालानी**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये .... 500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 1085-86

दिनांक : 5/9/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी।
4. हल्का पटवारी....गुड़ामालानी. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........सांवलाराम पटेल वल्द रूघाराम पटेल
6. विप्रार्थीगण.........शंकरलाल वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी